ए.

भारत शंकर निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.

संदीप चौधरी और हमारा। (2015 की सिविल अपील संख्या 8717) अप्रैल 28,2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान, 1950-कला।14, 16 और 142-रोजगार में आरक्षण-चाहे ऐसे मामले में जहां आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हों, ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले सामान्य श्रेणी के पूल में समायोजित करना होगा और उन्हें सामान्य श्रेणी के पूल में या आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा-आयोजित किया गया:सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणियों में सीट/पद प्राप्त करने के हकदार हैं-इस प्रकार, ओ. बी. सी. श्रेणी के दो उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के खिलाफ समायोजित करने की आवश्यकता थी क्योंकि वे सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी थे-नतीजतन, सामान्य श्रेणी में उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के बाद, आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से योग्यता के आधार पर भरा जाना आवश्यक था जैसे कि प्रत्यर्थी संख्या 1-हालांकि, सामान्य श्रेणी की चयन सूची में दो ओ. बी. सी. उम्मीदवारों को शामिल करने से पूरी चयन प्रक्रिया बाधित हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप दो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को लंबे समय तक काम करने के लिए निष्कासित किया जा सकता है-इसलिए, संतुलन बनाने के लिए, ओ. बी. सी. श्रेणी के दो उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी की सीटों में माना जाना चाहिए और जवाब दिया जाना चाहिए।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

शब्द और वाक्यांश-"क्षैतिज आरक्षण" और "ऊर्ध्वाधर आरक्षण" के बीच का अंतर समझाया गया।

एच.

1002

1003

भारत शंकर निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.संदीप चौधरी और हमारा।

ए.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना:**1.1.**किसी भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार "खुली या सामान्य" श्रेणी में चुने जाने के हकदार हैं और यदि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित ऐसे उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाने के हकदार हैं, तो उनके चयन को आरक्षित कोटा के खिलाफ नहीं गिना जा सकता है।**[**पैरा **8.5] [1018-**जी-एच**]**

बी.

1.2.सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणियों में सीट/पद प्राप्त करने के हकदार हैं।यह आगे देखा गया है और माना गया है कि क्षैतिज आरक्षण लागू करते समय भी योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यदि एससी, एसटी और ओ. बी. सी. से संबंधित उम्मीदवारों ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं या अधिक मेधावी हैं, तो उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सीटों के खिलाफ माना जाना चाहिए।यह भी देखा गया है कि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित **19** उम्मीदवार भी अनारक्षित श्रेणियों में सीटों का दावा कर सकते हैं यदि योग्यता सूची में उनकी योग्यता और स्थिति उन्हें ऐसा करने का अधिकार देती है।**[**पैरा **8.6] [1019-**ए-सी**]2.** वर्तमान मामले में, ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित दो उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के खिलाफ समायोजित करने की आवश्यकता थी क्योंकि वे नियुक्त किए गए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी थे और उनकी नियुक्तियों पर आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों के खिलाफ विचार नहीं किया जा सकता था।नतीजतन, सामान्य श्रेणी में उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के बाद, आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को अन्य शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से योग्यता के आधार पर भरा जाना आवश्यक था जैसे कि प्रत्यर्थी संख्या **1**।यदि ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाता, तो मूल आवेदक-प्रत्यर्थी संख्या **1** को उपरोक्त प्रक्रिया के कारण रिक्त हुई आरक्षित श्रेणी की सीटों में योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता।चाहे जो भी हो, फेरबदल करके और सामान्य श्रेणी की चयन सूची में दो ओ. बी. सी. उम्मीदवारों को

शामिल करने पर, पहले से नियुक्त दो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को निष्कासित करना होगा और/या उन्हें हटाना होगा, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं और इससे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को परेशानी हो सकती है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1004 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 4 एस. सी. आर.

ए.

पूरी चयन प्रक्रिया।इसलिए, संतुलन बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार, जो पहले से ही नियुक्त हैं, उन्हें हटाने की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही, प्रत्यर्थी संख्या **1-**मूल आवेदक जो एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार है, उसे भी समायोजित किया जाएगा, यदि वह इस तरह से नियुक्त किया जाता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि फेरबदल करने पर और प्रत्यर्थी संख्या **1-**मूल आवेदक को अब आरक्षित श्रेणी की सीटों के खिलाफ नियुक्त किया जा रहा है और जबकि अन्य दो उम्मीदवार जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित हैं, जिन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों पर माना जाना है, पहले से ही नियुक्त और सामान्य श्रेणी से संबंधित दो उम्मीदवारों को नहीं हटाया जाएगा।हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या **1** को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता मिलेगी, जिनके पास उपरोक्त दो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में कम योग्यता थी।**[**पैरा **9] [1019-**सी-एच**; 1020-**ए-डी**]**

बी.

सी.

इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ **1992** पूरक **(3)** एस**.** सी**.** सी**.**

217 :[1992] 2 पूरक।एससीआर 454 और आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य (2007) 8 एससीसी 785:[2007] 8 एस. सी. आर. 972-अनुसरण किया गया।

डी.

भारत संघ बनाम रमेश राम **(2010) 7** एस**.** सी**.** सी**. 234:**

[2010] 6 एससीआर **698-**प्रतिष्ठित।

ई.

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग बनाम ममता बिष्ट

(2010) 12 एससीसी 204:[2010] 7 एससीआर 289; रितेश आर. साह बनाम वाई. एल. यमुल (1996) 3 एस. सी. सी. 253:[1996] 2 एससीआर 695;

सौरव यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य **(2021) 4** एससीसी **542** और साधना सिंह डांगी बनाम पिंकी असाती **(2022) 1** स्केल

534 – पर भरोसा किया।

एफ.

राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा

आयोग (2007) 8 एससीसी 785:[2007] 8 एस. सी. आर. 972-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

जी.

[1992] 2 पूरक।एससीआर **454**

पीछा किया।

पैरा **2.7**

[2007] 8 एससीआर **972**

पीछा किया।

पैरा **2.7**

[2007] 8 एससीआर **972**

पैरा **2.7** ए को संदर्भित किया गया

एच.

1005

भारत शंकर निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.संदीप चौधरी और हमारा।

[2010] 6 एससीआर **698**

विशिष्ट पैरा **4**

[2010] 7 एससीआर **289**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8.3**

[1996] 2 एससीआर **695**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8.4**

(2021) 4 एस**.** सी**.** सी**. 542**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8.8**

बी.

(2022) 1 स्केल **534**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8.6**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2015 की सिविल अपील सं. 8717।

2013 की डी. बी. सिविल रिट याचिका No.14714 में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 04.08.2014 से।

सी.

डॉ. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता (न्यायमित्र), गौरव अग्रवाल (न्यायमित्र)।

डी.

प्रदीप कुमार माथुर, चिरंजीव जौहरी, अंकुर रस्तोगी, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, उमंग मेहता, योगित कामत, सुश्री प्रतिभा जैन, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीुप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीृप्रत्यर्थीथप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थीृप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीृप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीृप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीडप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीडप्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीृप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीृप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीूप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीं

प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी

डी.

यह भर्ती 200 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर में योग्य उम्मीदवारों की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करके की जानी थी।विज्ञापन के खंड 13 में प्रावधान किया गया है कि:-

(i) पेपर में न्यूनतम योग्यता अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत और (ii) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 33 प्रतिशत होंगे।

ई.

ऐसा हुआ कि आयोजित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को 40 प्रतिशत से अधिक अंक नहीं मिले।हालांकि, ओ. बी. सी. श्रेणी के चार उम्मीदवारों ने 33 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए।चार ओ. बी. सी. श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार हैं:-

एफ.

ओ. बी. सी. चयनित उम्मीदवार ए

	नाम	अंक (200 में से)	प्रतिशत
1	आलोक कुमार यादव	79.75	39.87
2	दिनेश कुमार	77	38.5
3	अलका सैनी	72.5	36.25
	वेद प्रकाश	68.5	34.25

जी.

एच.

1007

भारत शंकर निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.संदीप चौधरी और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

मूल आवेदक-प्रत्यर्थी संख्या 1, जिसे 68.25 अंक प्राप्त हुए थे, को ओ. बी. सी. श्रेणी में प्रतीक्षा सूची संख्या 1 में रखा गया था।

2.2 01.06.2009 पर, बी. एस. एन. एल. ने दूरसंचार मंडल के सभी प्रमुखों को एक परिपत्र/पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि टी. टी. ए. परीक्षा में उम्मीदवारों का उत्तीर्ण प्रतिशत कम रहा है और रिक्तियों की संख्या कम रही है।श्रमशक्ति की भारी कमी थी और इसलिए सभी उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंकों में 10 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया।तदनुसार, योग्यता अंकों को सामान्य श्रेणी के लिए 30 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के लिए 23 प्रतिशत पर फिर से निर्धारित किया गया था।उक्त पत्र के खंड (iii) और (v) में निम्नलिखित प्रावधान हैंः-

बी.

(iii) कुल मिलाकर सामान्य मानकों के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों को योग्यता सूची में शिथिल मानक के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने वालों के लिए वरिष्ठ रैंक दी जाएगी।हालांकि, भर्ती नियमों के प्रावधान संवर्ग में उनकी अंतर-वरिष्ठता निर्धारित करेंगे।

सी.

(v) जिन मंडलों ने पहले ही परिणाम घोषित कर दिया है, लेकिन उन्हें पर्याप्त संख्या में सफल उम्मीदवार नहीं मिले हैं, वे उपरोक्त निर्देशों के अनुसार योग्यता/प्रतीक्षा सूची का विस्तार कर सकते हैं।

डी.

2.3 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के न्यूनतम अंकों में 30 प्रतिशत की छूट के बाद, सामान्य श्रेणी के निम्नलिखित पांच उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र हो गएः-

ई.

ओ. सी. चयनित उम्मीदवार

एफ.

जी.

2.4 हालांकि, ऐसा हुआ कि आलोक कुमार यादव और अलका सैनी, जो बाद में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी पाए गए, उन्हें नियुक्त करने के योग्य पाया गया।

एच.

आरक्षित श्रेणी-ओ. बी. सी. के खिलाफ। इसलिए, इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल आवेदक, जो ओ. बी. सी. श्रेणी में प्रतीक्षा सूची संख्या 1 था, ने 2009 की ओ. ए. संख्या 159 के रूप में आवेदन के माध्यम से न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया ताकि सभी उम्मीदवारों के लिए एक नई सूची तैयार करने के निर्देश के लिए मानक में ढील दी जाए और उक्त संयुक्त योग्यता सूची पर कार्य किया जाए।अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील दी गई थी कि एक चयन के लिए दो कट-ऑफ अंक नहीं हो सकते हैं।यह प्रस्तुत किया गया था कि कट-ऑफ अंकों का एक और सेट प्रदान करके एक अनुचित वर्गीकरण किया गया था और यह कार्रवाई भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाली थी।

बी.

2.5 मूल आवेदक की ओर से यह मामला था कि ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित उन दो उम्मीदवारों, जिनके पास अधिक योग्यता थी, को सामान्य श्रेणी की सीटों के खिलाफ समायोजित करने की आवश्यकता थी और इसके परिणामस्वरूप ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को योग्यता के आधार पर शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक था।

सी.

2.6 न्यायाधिकरण ने 2009 की एस. बी. सिविल रिट याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के फैसले को ध्यान में रखते हुए ओ. ए. का निपटारा किया और बी. एस. एन. एल. को मूल आवेदक-प्रत्यर्थी संख्या 1 की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया, यदि ओ. बी. सी. उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त रिक्तियां मौजूद हैं और आगे उसकी उम्मीदवारी पर ओ. बी. सी. श्रेणी में वर्तमान और भविष्य की रिक्तियों के खिलाफ विचार किया जाएगा।

डी.

ई.

2.7 न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, बी. एस. एन. एल. ने उच्च न्यायालय के समक्ष और विवादित निर्णय और आदेश द्वारा और इंद्र साहनी बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करके रिट याचिका को प्राथमिकता दी।

भारत संघ**, 1992** सप्लीमेंट **(3)** एस**.** सी**.** सी**. 217;** आर**.** के**.** सभरवाल बनाम पंजाब राज्य**, (2007) 8** एस**.** सी**.** सी**. 785;** और राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग**, (2007) 8** एस**.** सी**.** सी**. 785**

एफ.

उक्त रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि बी. एस. एन. एल. को श्री आलोक कुमार यादव और श्री दिनेश कुमार (ओ. बी. सी. श्रेणी के उम्मीदवारों) को उन रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति देनी चाहिए थी जो उक्त दो व्यक्तियों को सामान्य श्रेणी में बदलने की स्थिति में ऊर्ध्वाधर रूप से आरक्षित नहीं थीं (बेशक उपरोक्त दोनों उम्मीदवारों ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक योग्यता प्राप्त की है और/या अधिक योग्यता प्राप्त की है, जिन्हें नियुक्त किया गया था)।उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि परिणामस्वरूप मूल आवेदक को ए के खिलाफ चुना जा सकता था।

जी.

एच.

1009

भारत शंकर निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.संदीप चौधरी और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित रिक्तियां। ऐसा मानते हुए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया है।इसलिए, बी. एस. एन. एल. ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।3. हमने डॉ. राजीव धवन के साथ श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान न्यायमित्र, श्री प्रदीप कुमार माथुर, बी. एस. एन. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन को सुना है।

बी.

4. बी. एस. एन. एल. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने भारत संघ बनाम रमेश राम, (2010) 7 एस. सी. सी. 234 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, एक मामले में, जहां आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची में रखा

जाता है, उन्हें सेवा आवंटन के समय उच्च पसंद की सेवा प्राप्त करने के लिए आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।बी. एस. एन. एल. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 42 पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

सी.

डी.

4.1 उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, बी. एस. एन. एल. की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त दो उम्मीदवारों श्री आलोक कुमार यादव और श्री दिनेश कुमार को आरक्षित श्रेणी पूल में सही माना गया था।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के शिथिल कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले दो ओ. बी. सी. उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में समायोजित किया जाता है और इस तरह ओ. बी. सी. श्रेणी में इस तरह से सृजित रिक्तियों को प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल आवेदक द्वारा भरना होगा, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवारों में फेरबदल होगा और यह पूरी चयन प्रक्रिया को बाधित करेगा।बी. एस. एन. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहा है कि सामान्य श्रेणी में रिक्तियां केवल पांच थीं और वे पहले से ही भरी गई थीं और इसलिए, सामान्य श्रेणी की चयन सूची में दो ओ. बी. सी. उम्मीदवारों को शामिल करने से पहले से ही सामान्य श्रेणी के दो चयनित उम्मीदवार निष्कासित हो जाएंगे जिन्होंने मूल दावेदार की तुलना में निर्विवाद रूप से अधिक अंक प्राप्त किए थे, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी आई।

ई.

एफ.

जी.

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

एच.

5. डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री गौरव अग्रवाल की सहायता से, विद्वान न्यायमित्र और श्री पुनीत जैन, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि इस मामले में विवाद इंद्र साहनी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में अंतिम उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के कोटे के खिलाफ समायोजित करना होगा और उन्हें सामान्य श्रेणी के पूल में विचार करने की आवश्यकता थी, जिससे आरक्षित श्रेणी के शेष उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे के खिलाफ नियुक्त किया जाना आवश्यक था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उन दो उम्मीदवारों, श्री आलोक कुमार यादव और श्री दिनेश कुमार ने चुने गए और नियुक्त किए गए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए और इसलिए उन दो उम्मीदवारों को समायोजित करने और/या सामान्य श्रेणी पूल के खिलाफ विचार करने की आवश्यकता थी।बी. एस. एन. एल. ने आरक्षित श्रेणी में उपरोक्त दो उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार किया और इस तरह आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नुकसान हुआ, जिन्हें नियुक्त किया जा सकता था यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित उपरोक्त दो उम्मीदवारों को समायोजित किया जाता और/या सामान्य पूल में नियुक्त किया जाता।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की उम्मीदवारी पर विचार करने का सही निर्देश दिया है-मूल आवेदक, जो आरक्षित श्रेणी में प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार है।

बी.

सी.

डी.

ई.

6. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना।7. इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त प्रश्न हैः-

“क्या ऐसे मामले में जहां आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले सामान्य श्रेणी के पूल में समायोजित करना होगा और उन्हें सामान्य श्रेणी के पूल में नियुक्ति के लिए या आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों के खिलाफ विचार किया जाएगा?

एफ.

जी.

8. उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय, उपरोक्त बिंदु पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने की आवश्यकता है।

8.1 पैरा 812 में इंद्र साहनी (ऊपर) के मामले में, यह है

निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया गयाः- ए.

एच.

1011

भारत शंकर निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.संदीप चौधरी और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

“812. हमारा यह भी मानना है कि 50 प्रतिशत का यह नियम केवल अनुच्छेद 16 (4) के तहत पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण पर लागू होता है।इस समय एक छोटा सा स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक हैःसभी आरक्षण समान प्रकृति के नहीं हैं।दो प्रकार के आरक्षण हैं, जिन्हें सुविधा के लिए "ऊर्ध्वाधर आरक्षण" और "क्षैतिज आरक्षण" के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।[अनुच्छेद 16 (4) के तहत] अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहा जा सकता है, जबकि [अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत] शारीरिक रूप से विकलांगों के पक्ष में आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण को काटते हैं-जिसे इंटरलॉकिंग आरक्षण कहा जाता है।अधिक सटीक होने के लिए, मान लीजिए कि 3 प्रतिशत रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं; यह अनुच्छेद 16 के खंड (1) से संबंधित आरक्षण होगा।इस कोटे के लिए चुने गए व्यक्तियों को उपयुक्त श्रेणी में रखा जाएगा; यदि वह अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस कोटे में रखा जाएगा; इसी तरह, यदि वह खुली प्रतियोगिता (ओसी) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस श्रेणी में रखा जाएगा।इन क्षैतिज आरक्षणों का प्रावधान करने के बाद भी, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का प्रतिशत बना हुआ है-और बना रहना चाहिए।इस तरह से कई राज्यों में इन आरक्षणों पर काम किया जाता है और उस प्रक्रिया को जारी नहीं रखने का कोई कारण नहीं है।”

बी.

सी.

डी.

ई.

8.2 राजेश कुमार दरिया (ऊपर) में, पैराग्राफ 8 से 11 में, यह है

निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया गयाः- “8. हम इस मामले के तथ्यों पर विचार करने से पहले दो संबंधित पहलुओं का भी उल्लेख कर सकते हैं।पहला क्षैतिज आरक्षण

के विवरण के बारे में है।उदाहरण के लिए, यदि 200 रिक्तियां हैं और 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण है और 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण है, तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या का उचित विवरण होना चाहिए:"एससी के लिए:30 इनमें से 9 पद महिलाओं के लिए हैं।" हम पाते हैं कि कई बार इसका गलत वर्णन इस प्रकार किया जाता है:"एससी के लिए:21 सभी 30 पदों पर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 9 पद हैं।" जाहिर है, "पुरुष" या "पुरुष" की कोई आरक्षण श्रेणी नहीं है और नहीं भी हो सकती है।

एफ.

जी.

9. दूसरा ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण की प्रकृति के बीच के अंतर से संबंधित है। सामाजिक आरक्षण

एच.

अनुच्छेद 16 (4) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में "ऊर्ध्वाधर आरक्षण" हैं।अनुच्छेद 16 (1) या 15 (3) के तहत शारीरिक रूप से विकलांग, महिलाओं आदि के पक्ष में विशेष आरक्षण "क्षैतिज आरक्षण" हैं।जहां अनुच्छेद 16 (4) के तहत पिछड़े वर्ग के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया जाता है, ऐसे पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और यदि उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर गैर-आरक्षित पदों पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी संख्या को संबंधित पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाएगा।इसलिए, यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या, जो अपनी योग्यता से, प्रतियोगिता रिक्तियों को खोलने के लिए चुने जाते हैं, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कोटा भरा गया है।खुला प्रतिस्पर्धा श्रेणी के तहत चुने गए लोगों के अलावा पूरा आरक्षण कोटा बरकरार और उपलब्ध होगा।(इंद्रा साहनी [इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217], आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य [(1995) 2 एस. सी. सी. 745], भारत संघ बनाम विरपाल सिंह चौहान [(1995) 6 एस. सी. सी. 684] और रितेश आर. साह बनाम वाई. एल. यामुल [(1996) 3 एस. सी. सी. 253]।लेकिन ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण पर लागू उपरोक्त सिद्धांत क्षैतिज (विशेष) आरक्षण पर लागू नहीं होगा।जहां अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक आरक्षण के भीतर

महिलाओं के लिए एक विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है, वहां योग्यता के क्रम में अनुसूचित जातियों के लिए कोटा भरने और फिर उनमें से उन उम्मीदवारों की संख्या का पता लगाने की उचित प्रक्रिया है जो "अनुसूचित जाति महिलाओं" के विशेष आरक्षण समूह से संबंधित हैं।यदि ऐसी सूची में महिलाओं की संख्या विशेष आरक्षण कोटे की संख्या के बराबर या उससे अधिक है, तो विशेष आरक्षण कोटे के लिए आगे चयन की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अगर कोई कमी है, तो अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों की संबंधित संख्या को सूची के निचले भाग से हटाकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की आवश्यक संख्या लेनी होगी।इस हद तक, क्षैतिज (विशेष) आरक्षण ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण से अलग है।इस प्रकार ऊर्ध्वाधर आरक्षण कोटे के भीतर योग्यता के आधार पर चुनी गई महिलाओं को महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के खिलाफ गिना जाएगा।आइए हम एक उदाहरण से समझाते हैं:

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

यदि 19 पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं (जिनमें से महिलाओं के लिए कोटा चार है), तो सफल योग्य उम्मीदवारों में से 19 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार पहले सूचीबद्ध करना होगा।यदि 19 उम्मीदवारों की ऐसी सूची में चार एससी ए हैं

एच.

1013

भारत शंकर निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.संदीप चौधरी और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

महिला उम्मीदवार, तो किसी भी आगे अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवार को शामिल करके सूची में गड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।दूसरी ओर, यदि 19 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की सूची में केवल दो महिला उम्मीदवार हैं, तो योग्यता के अनुसार अगले दो अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवारों को सूची में शामिल करना होगा और ऐसी सूची के निचले भाग से संबंधित उम्मीदवारों की संख्या को हटाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम 19 चयनित अनुसूचित जाति उम्मीदवारों में चार महिला अनुसूचित

जाति उम्मीदवार हों।(लेकिन अगर 19 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की सूची में चार से अधिक महिला उम्मीदवार हैं, जो अपनी योग्यता के आधार पर चुनी गई हैं, तो वे सभी सूची में बनी रहेंगी और इस आधार पर अतिरिक्त महिला उम्मीदवारों को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है कि "अनुसूचित जाति महिलाओं" का चयन चार के निर्धारित आंतरिक कोटे से अधिक किया गया है।)10. इस मामले में, सामान्य श्रेणी (खुली प्रतियोगिता) के तहत चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 59 थी, जिनमें से 11 महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए थे।जब 261 सफल उम्मीदवारों में से पहले 59 को लिया गया और योग्यता के अनुसार सूचीबद्ध किया गया, तो इसमें 11 महिला उम्मीदवार थीं, जो "सामान्य श्रेणी की महिलाओं" के लिए कोटा के बराबर थी।इस प्रकार महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण के तहत महिला उम्मीदवारों के आगे चयन की कोई आवश्यकता नहीं थी।लेकिन आरपीएससी ने जो किया वह योग्यता के क्रम में केवल पहले 48 उम्मीदवारों को लेना था (जिसमें 11 महिलाएं थीं) और उसके बाद, सामान्य श्रेणी के तहत अगले 11 पदों को महिला उम्मीदवारों से भरना था।परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि 59 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में से सभी 22 महिलाओं का चयन किया गया है, जिसमें ग्यारह महिला उम्मीदवार शामिल हैं, जिनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया गया है। चयन सूची की संख्या 2,3,4,5,9,19,21,25,31,35 और 41) और अन्य ग्यारह (क्र. सं. चयन सूची के 54,61,62,63,66,74,75,77,78,79 और 80) "सामान्य श्रेणी की महिलाओं" के लिए आरक्षण कोटे के तहत शामिल हैं।यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।आर. पी. एस. सी. द्वारा किए गए चयन की प्रक्रिया महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में मानने के बराबर है, न कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर क्षैतिज आरक्षण के रूप में।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

11. इसी तरह, हम पाते हैं कि ओ. बी. सी. के लिए 24 पदों के संबंध में, आर. पी. एस. सी. द्वारा ओ. बी. सी. उम्मीदवारों में से योग्यता के अनुसार 19 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिसमें तीन महिला उम्मीदवार शामिल थीं।इसके बाद इस श्रेणी के तहत पांच और महिलाओं का चयन किया गया।

एच.

केवल दो को जोड़ने के बजाय "ओ. बी. सी. महिलाओं" की कमी थी।इस प्रकार चयन सूची में पाए गए 24 ओ. बी. सी. उम्मीदवारों में सभी 8 महिला उम्मीदवार थीं।उचित पाठ्यक्रम योग्यता के अनुसार 24 ओ. बी. सी. उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करना और फिर उनमें से महिला उम्मीदवारों की संख्या का पता लगाना था, और केवल महिलाओं के लिए पांच के कोटे को पूरा करने के लिए कमी को भरना था।"

बी.

(जोर दिया गया) "

8.3 उत्तरांचल लोक सेवा आयोग बनाम ममता बिष्ट, (2010) 12 एस. सी. सी. 204 के मामले में उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा

कि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी में माने जाने का हकदार था और उसे आरक्षित श्रेणी के खिलाफ नहीं गिना जा सकता था।उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 3,4,13 और 15 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः-

सी.

"3. 42 पदों में से 26 सामान्य श्रेणी और 16 आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरे गए थे।कुछ महिला उम्मीदवारों का चयन सामान्य श्रेणी में किया गया था जबकि अन्य को उत्तरांचल के निवासियों के रूप में क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया था।प्रत्यर्थी 1, उत्तरांचल के उच्च न्यायालय में 2003 की 780 (एम/बी) की प्राथमिकता वाली रिट याचिका में मुख्य रूप से इस आधार पर चयन सूची को रद्द करने की मांग की गई है कि उत्तरांचल से संबंधित महिला उम्मीदवारों ने उन्हें सामान्य श्रेणी में चयन के योग्य बनाने के लिए अंक प्राप्त किए थे और यदि ऐसा किया जाता, तो उत्तरांचल की महिला होने के नाते प्रत्यर्थी 1 को आरक्षित श्रेणी में चुना जा सकता था।याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि कुछ महिला उम्मीदवार जिन्होंने न केवल क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने का दावा किया है, बल्कि उक्त लाभ देते हुए चुनी गई हैं, उन्होंने आवेदन पत्र भरने के समय अपना अधिवास प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाद में उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और इसे स्वीकार कर लिया गया।

डी.

ई.

एफ.

4. उच्च न्यायालय ने चयन के अभिलेख की जांच करने के बाद प्रत्यर्थी 1 की पहली प्रस्तुति को स्वीकार कर लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंतिम चयनित महिला उम्मीदवार, जिसे उत्तरांचल की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया था, ने सामान्य श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे।अतः उक्त उम्मीदवार को ए नियुक्त किया जाना चाहिए था।

जी.

एच.

1015

भारत शंकर निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.संदीप चौधरी और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

सामान्य श्रेणी की रिक्ति के विरुद्ध और प्रत्यर्थी 1 को उत्तरांचल की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए थी।इसलिए, ये अपीलें।

***

13. वास्तव में, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को केवल इस आधार पर अनुमति दी कि क्षैतिज आरक्षण को भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों (सामाजिक) के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में लागू किया जाना है जैसा कि उसने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

बी.

'उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नीतू जोशी (क्र. नंबर 9, रोल नंबर 12320) उत्तरांचल महिला सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित पांच सीटों के खिलाफ प्रत्यर्थी 3/आयोग द्वारा गलत तरीके से गिना गया है क्योंकि उसने सामान्य उम्मीदवार के रूप में अपनी योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ा है और पांचवें उम्मीदवार के रूप में याचिकाकर्ता को उत्तरांचल महिला सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए गिना जाना चाहिए था।'

सी.

मान लीजिए, उक्त नीतू जोशी को प्रत्यर्थी के रूप में शामिल नहीं किया गया है।बार में यह कहा गया है कि अभियोग दायर करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उक्त आवेदन को कभी भी अनुमति दी गई थी। इस न्यायालय के समक्ष कुछ सफल उम्मीदवारों को शामिल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन आवेदनों को इस न्यायालय ने खारिज कर दिया।

डी.

14. क्षैतिज आरक्षण के आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इसके द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।

ई.

राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा मामले में न्यायालय

आयोग [(2007) 8 एस. सी. सी. 785], जिसमें एक समान मुद्दे से निपटने के लिए इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः(एस. सी. सी. पीपी. 790-91, पैरा 9)

‘9. दूसरा ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण की प्रकृति के बीच के अंतर से संबंधित है। अनुच्छेद 16 (4) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में सामाजिक आरक्षण "ऊर्ध्वाधर आरक्षण" हैं।अनुच्छेद 16 (1) या 15 (3) के तहत शारीरिक रूप से विकलांग, महिलाओं आदि के पक्ष में विशेष आरक्षण "क्षैतिज आरक्षण" हैं। जहां अनुच्छेद 16 (4) के तहत पिछड़े वर्ग के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया जाता है, ऐसे पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और यदि उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर गैर-आरक्षित पदों पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी संख्या को संबंधित पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाएगा।इसलिए, यदि अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की संख्या,

एफ.

जी.

एच.

जो अपनी योग्यता से, एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक, प्रतियोगिता रिक्तियों को खोलने के लिए चुने जाते हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि एससी के लिए आरक्षण कोटा भरा गया है।खुला प्रतिस्पर्धा श्रेणी के तहत चुने गए लोगों के अलावा पूरा आरक्षण कोटा बरकरार और उपलब्ध होगा।(इंद्र साहनी बनाम भारत संघ, 1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217], आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य ((1995) 2 एस. सी. सी. 745), भारत संघ बनाम विरपाल सिंह चौहान ((1995) 6 एस. सी. सी. 684) और रितेश आर. साह बनाम वाई. एल. यमुल ((1996) 3 एस. सी. सी. 253)।लेकिन उपरोक्त सिद्धांत

बी.

ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण क्षैतिज (विशेष) आरक्षण पर लागू नहीं होगा।जहाँ एक विशेष

सी.

महिलाओं के लिए आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक आरक्षण के भीतर प्रदान किया जाता है, योग्यता के क्रम में अनुसूचित जातियों के लिए कोटा भरने के लिए उचित प्रक्रिया है और फिर उनमें से उम्मीदवारों की संख्या का पता लगाना है जो "अनुसूचित जाति महिलाओं" के विशेष आरक्षण समूह से संबंधित हैं।अगर

डी.

ऐसी सूची में महिलाओं की संख्या विशेष आरक्षण कोटे की संख्या के बराबर या उससे अधिक है, तो विशेष आरक्षण कोटे के लिए आगे चयन की कोई आवश्यकता नहीं है।

केवल अगर कोई कमी है, तो अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों की संबंधित संख्या को सूची के निचले भाग से हटाकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की आवश्यक संख्या लेनी होगी।इस हद तक, क्षैतिज

ई.

(विशेष) आरक्षण ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) से अलग है।

आरक्षण।इस प्रकार ऊर्ध्वाधर आरक्षण कोटे के भीतर योग्यता के आधार पर चुनी गई महिलाओं को महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के खिलाफ गिना जाएगा।'

एफ.

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश राजेश कुमार दरिया [(2007) 8 एस. सी. सी. 785] में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं है।इसमें आक्षेपित निर्णय और आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और सभी परिणामी आदेश अप्रवर्तनीय और अप्रासंगिक हो जाते हैं।इस प्रकार, अपील सफल होती हैं और उन्हें अनुमति दी जाती है।ममता बिष्ट बनाम राज्य [2003 का डब्ल्यू. पी. एम. बी. सं. 780, दिनांक 26-10-2005 (उत्तर)] में पारित उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।कोई लागत नहीं।"

जी.

(मूल में जोर)

एच.

भारत शंकर निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.संदीप चौधरी और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

8.4 रितेश आर. साह बनाम वाई. एल. यमुल, (1996) 3 एस. सी. सी. 253 में

इंद्र के मामले में इस न्यायालय के बड़ी पीठ के फैसले पर ध्यान देते हुए

साहनी (सुप्रा) और आर. के. सभरवाल (सुप्रा), में मनाया जाता है

अनुच्छेद 13 से 16 निम्नानुसार हैः“13. इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यदि कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने का हकदार है तो इस तरह के प्रवेश को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाना चाहिए क्योंकि यह अनुच्छेद 16 (4) में निहित संवैधानिक जनादेश के खिलाफ होगा।

बी.

सी.

14. इंद्र साहनी बनाम भारत संघ [1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217] में, जिसे आमतौर पर मंडल मामले के रूप में जाना जाता है, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः(एस. सी. सी. पी. 735, पैरा 811)

‘811. इस संबंध में यह याद रखना अच्छा है कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण सांप्रदायिक आरक्षण की तरह काम नहीं करता है।यह अच्छी तरह से हो सकता है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित कुछ सदस्य अपनी योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता के मैदान में चुने जाते हैं; उन्हें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाएगा; उन्हें खुली प्रतिस्पर्धा के उम्मीदवारों के रूप में माना जाएगा।’

डी.

ई.

15. आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य [(1995) 2 एस. सी. सी. 745] मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने नियुक्ति और पदोन्नति और आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिंदुओं के प्रश्न पर विचार किया और इस प्रकार निर्णय दियाः(एस. सी. सी. पी. 750, पैरा 4)

‘4. जब किसी विशेष संवर्ग के संबंध में आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है और रोस्टर आरक्षित अंकों को इंगित करता है, तो यह माना जाना चाहिए कि आरक्षित बिंदुओं

पर दिखाए गए पदों को आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों में से भरा जाना है और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं।दूसरी ओर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की स्थिति में उनकी संख्या को जोड़ा नहीं जा सकता है और आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 (4) राज्य को अनुमति देता है।

एफ.

जी.

एच.

सरकार नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करेगी, जो राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है।इसलिए, यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिन पिछड़े वर्ग/वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है, उनका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।ऐसा करते समय राज्य सरकार किसी विशेष पिछड़े वर्ग की कुल आबादी और राज्य सेवाओं में उसके प्रतिनिधित्व को ले सकती है।जब राज्य सरकार आवश्यक अभ्यास करने के बाद आरक्षण करती है और उक्त पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों के प्रतिशत की सीमा प्रदान करती है तो प्रतिशत का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। निर्धारित प्रतिशत को केवल इसलिए बदला या बदला नहीं जा सकता है क्योंकि पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों को पहले ही सामान्य सीटों के खिलाफ नियुक्त/पदोन्नत किया जा चुका है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रोस्टर बिंदु को उक्त वर्ग के सदस्य की नियुक्ति/पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है।किसी भी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रोस्टर में एक स्थान के खिलाफ नियुक्त नहीं किया जा सकता है।यह तथ्य कि राज्य सेवाओं में सामान्य सीटों के लिए काफी संख्या में पिछड़े वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति/पदोन्नति की गई है, राज्य सरकार के लिए उक्त वर्ग के लिए आरक्षण जारी रखने के प्रश्न की समीक्षा करने के लिए एक प्रासंगिक कारक हो सकता है, लेकिन जब तक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कुछ प्रतिशत प्रदान करने वाले निर्देश/नियम लागू हैं, उनका पालन करना होगा।सामान्य श्रेणी के पदों के खिलाफ पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी भी संख्या में नियुक्तियों/पदोन्नतियों के बावजूद दिए गए प्रतिशत को अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाना है।'

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

16. भारत संघ बनाम विरपाल सिंह चौहान [(1995) 6

एस. सी. सी. 684] (पृष्ठ 705 पर एस. सी. सी.) यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या का निर्धारण करते समय, आरक्षित श्रेणी से संबंधित लेकिन योग्यता के नियम (और आरक्षण के नियम के आधार पर नहीं) पर चयनित/पदोन्नत उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में नहीं गिना जाएगा।"

जी.

एच.

1019

भारत शंकर निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.संदीप चौधरी और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

8.5 हाल के एक फैसले में इस अदालत ने सौरव के मामले में

यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 4 एस. सी. सी. 542 सभी का उल्लेख करने के बाद

ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर पहले के निर्णयों में कहा गया है कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार "खुली या सामान्य" श्रेणी में चुने जाने के हकदार हैं और यह भी देखा गया है कि यदि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित ऐसे उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाने के हकदार हैं, तो उनके चयन को उन श्रेणियों के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जा सकता है जिनसे वे संबंधित हैं।

बी.

8.6 साधना सिंह डांगी बनाम पिंकी असाती, (2022) 1 स्केल 534 के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य हालिया फैसले में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है।उक्त निर्णय द्वारा, यह दोहराया जाता है कि सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में

अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणियों में सीट/पद प्राप्त करने के हकदार हैं।यह आगे देखा गया है और कहा गया है कि क्षैतिज आरक्षण लागू करते समय भी योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यदि एससी, एसटी और ओ. बी. सी. से संबंधित उम्मीदवारों ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं या अधिक मेधावी हैं, तो उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सीटों के खिलाफ माना जाना चाहिए।यह भी देखा गया है कि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार भी अनारक्षित श्रेणियों में सीटों का दावा कर सकते हैं यदि योग्यता सूची में उनकी योग्यता और स्थिति उन्हें ऐसा करने का अधिकार देती है।

सी.

डी.

ई.

9. मामले के तथ्यों पर उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, यह ध्यान दिया जाता है कि उपरोक्त दो उम्मीदवारों, श्री आलोक कुमार यादव और श्री दिनेश कुमार, जो ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित हैं, को सामान्य श्रेणी के खिलाफ समायोजित करने की आवश्यकता थी क्योंकि वे सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी थे और उनकी नियुक्तियों पर आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों के खिलाफ विचार नहीं किया जा सकता था।नतीजतन, सामान्य श्रेणी में उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के बाद, आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को अन्य शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से योग्यता के आधार पर भरा जाना आवश्यक था जैसे कि प्रत्यर्थी संख्या 1। यदि ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाता, तो मूल आवेदक-प्रत्यर्थी संख्या 1 को उपरोक्त प्रक्रिया के कारण रिक्त हुई आरक्षित श्रेणी की सीटों में योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता।इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह देखने और अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि उपरोक्त

एफ.

जी.

एच.

श्री आलोक कुमार यादव और श्री दिनेश कुमार नामक दो उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के खिलाफ समायोजित करना होगा और तदनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 आरक्षित

श्रेणी का उम्मीदवार होने के कारण और आरक्षित श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठ संख्या 1 पर होने के कारण नियुक्त किया जाना था।

बी.

हालांकि, साथ ही, इस बात पर भी विवाद नहीं किया जा सकता है कि सामान्य श्रेणी की चयन सूची में दो ओ. बी. सी. उम्मीदवारों को फेरबदल करके और शामिल करने पर, पहले से नियुक्त दो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को निष्कासित करना होगा और/या उन्हें हटाना होगा, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं और यह पूरी चयन प्रक्रिया को अस्थिर कर सकता है। इसलिए, संतुलन बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार, जो पहले से ही नियुक्त हैं, उन्हें हटाने की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही, प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल आवेदक जो एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार है, उसे भी समायोजित किया जाएगा, यदि वह इस तरह से नियुक्त किया जाता है, तो हम एक आदेश पारित करने का प्रस्ताव करते हैं कि फेरबदल करने पर और प्रत्यर्थी संख्या 1 पर-मूल आवेदक को अब आरक्षित श्रेणी की सीटों के खिलाफ नियुक्त किया जा रहा है और जबकि उपरोक्त दो उम्मीदवार, श्री आलोक कुमार यादव और श्री दिनेश कुमार, आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं, जिन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों पर माना जाएगा, पहले से नियुक्त और सामान्य श्रेणी से संबंधित दो उम्मीदवारों को नहीं हटाया जाएगा।हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 1 को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता मिलेगी, जिनके पास उपरोक्त दो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों, श्री आलोक कुमार यादव और श्री दिनेश कुमार की तुलना में कम योग्यता थी।10. अब, जहाँ तक रमेश राम (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संबंध है, जिस पर बी. एस. एन. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था, उपरोक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।उक्त निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग किया जा सकता है।उक्त मामले में, यह न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित सिविल सेवा परीक्षा नियमों के नियम 16 (2) पर विचार कर रहा था।नियमों का नियम 16 (2) इस प्रकार हैः-

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

“16(2) सेवा आबंटन करते समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की अनारक्षित रिक्तियों के लिए सिफारिश को सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है यदि इसके द्वारा

एच.

1021

भारत शंकर निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.संदीप चौधरी और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

इस प्रक्रिया में उन्हें अपनी पसंद के क्रम में उच्च पसंद की सेवा मिलती है।"

उक्त मामला सिविल सेवाओं का था, जहां चयनित उम्मीदवारों की अलग-अलग प्राथमिकताएं थीं और किसी मामले में, ऐसा हो सकता है कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार, जो कम मेधावी हैं और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक हैं और परिणामस्वरूप उन्हें आरक्षित श्रेणी के खिलाफ समायोजित किया जाना है और वे संभवतः उच्च वरीयता की सेवा में पदों को सुरक्षित कर सकते हैं।इसलिए, आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक योग्यता होने के बावजूद ही आरक्षित श्रेणी के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने का विकल्प दिया गया था।हालाँकि, वर्तमान मामले में, इस तरह की वरीयता का कोई सवाल ही नहीं है। पैराग्राफ 42 में नियम 16 (2) की व्याख्या पर, इसे निम्नलिखित रूप में देखा और अभिनिर्धारित किया गयाः-

बी.

सी.

"42. इसलिए, हमारी दृढ़ राय है कि एमआरसी उम्मीदवार जो नियम 16 (2) का लाभ उठाते हैं और अंततः आरक्षित श्रेणी में समायोजित किए जाते हैं, उन्हें कुल आरक्षण कोटा की गणना के उद्देश्य से आरक्षित पूल के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए।इसलिए सामान्य पूल में एम. आर. सी. उम्मीदवारों द्वारा खाली की गई सीटों की पेशकश सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को की जाएगी।यह एकमात्र व्यवहार्य समाधान है क्योंकि इन सामान्य श्रेणी की सीटों (एमआरसी उम्मीदवारों द्वारा खाली) को अपेक्षाकृत कम रैंक वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटित करने के परिणामस्वरूप कुल उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण होगा।इसलिए, हम एम. आर. सी. उम्मीदवारों के आरक्षित श्रेणी में पलायन में कोई बाधा नहीं देखते हैं।"

डी.

ई.

एफ.

हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि उक्त निर्णय मामले के तथ्यों और/या इंद्र साहनी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों और ऊपर निर्दिष्ट अन्य निर्णयों का सामना करने वाले बी. एस. एन. एल. को किसी भी सहायता के लिए कैसे लागू होता है।

11. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और उसी को खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि दो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, श्री आलोक कुमार यादव और श्री दिनेश कुमार, जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक रखते हैं, सामान्य श्रेणी में नियुक्ति के हकदार हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों की आवश्यकता है।

जी.

एच.

1022

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित शेष उम्मीदवारों में से और उनमें से भरे गए।नतीजतन, प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल आवेदक ऐसे पद पर नियुक्ति का हकदार था।हालाँकि, साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह देखा गया है और निर्देश दिया गया है कि फेरबदल करने पर, सामान्य श्रेणी से संबंधित दो उम्मीदवारों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा क्योंकि वे लंबे समय से काम कर रहे हैं।हालाँकि, उसी समय, प्रत्यर्थी संख्या 1 उस तारीख से वरिष्ठता का हकदार होगा, जब उपरोक्त दो आरक्षित श्रेणी उम्मीदवारों की तुलना में कम अंक रखने वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था।

बी.

इसके साथ, वर्तमान अपील खारिज हो जाती है।हालांकि, तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

सी.

12. अलग होने से पहले, हम डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गहराई से सराहना करना चाहते हैं, जिन्होंने न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता की है और हम उनकी बहुमूल्य सहायता के लिए दोनों के आभारी हैं।

डी.

बिभूति भूषण बोस

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.